कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह
रंगबाडी रोड, कोटा 324005

क्रमांक : प.1( )/पी.ए.(एच)/विविध/ COVID-19 /2020/262 दिनांक : 28 ,मार्च ,2020

बैठक कार्यवाही विवरण

कोरोना वायरस के संभावित संक्रमित रोगियों के निदान एवं उपचार के संबंध में वांछित व्यवस्थाओं/संसाधनों की उपलब्धता की दैनिक समीक्षा हेतु आज दिनांक 28.03.2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूची में वर्णित अधिकारियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम डॉ0 विजय सरदाना प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देश/एडवाईजरी नोट से सभी उपस्थित अधिकारियों को अवगत करवाया एवं साथ ही चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 25.03.2020 की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारी मीटिंग मिनिट्स NO.F.7(92)/DME/ACAD/ncovid-19/2020/783 दिनांक 27.03. 2020 एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश NO.F.33(2)Home/Gr.9/2019 Dated 26.03.2020 से सभी संबंधित को अवगत करवाते हुए इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में बाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये /निर्देश दिये गयेः–

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 के संबंध में दिनांक 30.03.2020 को प्रातः 10:00 बजे को आयोजित ऑनलाईन ट्रेनिंग में प्रशिक्षण हेतु सभी संबंधित को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भाग लेने के निर्देश दिये गये। कॉलेज स्तर पर भी रेजिडेंन्ट चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिये डॉ0 एस.सी.जेलिया एवं डॉ0 दीप्ति शर्मा, वरि0 आचार्य, मेडिसिन को निर्देशित किया गया।
2. कोरोना वायरस संदेहास्पद/संक्रमित रोगियों के बेहतर उपचार हेतु कोरोना वायरस वार्ड में अतिरिक्त रेजिडेंट चिकित्सक केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार जनरल सर्जरी विभाग के रेजिडेंन्ट चिकित्सकों की डयूटी भी लगाने के निर्देश दिये गये।
3. बैठक में लॉजिस्टीक की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई जिसमें एमबीएस चिकित्सालय अधीक्षक डॉ0 नवीन सक्सैना द्वारा पीपीई किट तथा एन95 मास्क की और आवश्यकता द्वारा और आवश्यकता बताई गई तथा बाद विचार–विमर्श 1000 पीपीई किट तथा 10,000 एन95 मास्क डिजास्टर मेंनेजमेंन्ट फण्ड से क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु लेखा शाखा, मेडिकल कॉलेज को तुरन्त आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।
4. विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी डॉ0 घनश्याम सोनी ने अवगत करवाया की कोरोना वायरस जाँच किट केवल 90 जाँचों के लिये और उपलब्ध है जबकि वर्तमान में लगभग 25 जाँचों के किट प्रतिदिन उपयोग में आ रहे है। अतः जाँच किट और शीघ्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता बताई गई है। इस पर बाद विचार विमर्श विभागाध्यक्ष माईक्रोबायोलॉजी को निर्देश दिये गये कि संबंधित सप्लाईकर्ता फर्म से जाँच किट सप्लाई करने की स्थिति एवं अवधि क संबंध में शीघ्र अवगत करावे ताकि तदानुसार उच्च स्तर पर वार्ता की जा सके।
5. एमबीएस चिकित्सालय अधीक्षक डॉ0 नवीन सक्सैना ने अवगत करवाया कि मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयों में कोरोना वायरस से संबंधित रोगियों के लिये 719 बेड्स की अतिरिक्त

उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। जिन्हें कोरोना पॉजिटिव/सस्पेंक्टिव केसेज के लिये 60:40 के अनुपात में आरक्षित करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार वर्तमान कोरोना वार्ड में भी सस्पेक्टेड/कन्फर्म/उपचारित नेगेटिव मरीजों के लिये क्रमशः कोटेज वार्ड/क्यूबिकल तथा नवीन डिलक्स वार्ड/पुराने डिलक्स वार्ड को भी इन श्रेणीयों की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करने के निर्देश दिये।

6. बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संबंधी मरीजों की जॉच लाईन लिस्टिंग सूचना संकलित इत्यादि का समस्त कार्य महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में ही संपादित किया जायेगा। नवीन चिकित्सालय/सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में यदि भविष्य में कोई गंभीर श्वसन रोग संबंधी (Acute Respiraty disease) रोगी भर्ती होता है जिसमें कि कोरोना की जॉच करवाई जानी हो तो केवल मात्र वहॉ सेम्पल कलेक्शन कर जॉच हेतु पहले एमबीएस चिकित्सालय भिजवाया जायेगा। सभी जगह से आये सेम्पल को पहले एमबीएस चिकित्सालय में एकत्रित कर माईक्रोबायोलोजी विभाग में जॉच हेतु भिजवाया जायेगा ताकि दोहरीकरण न हो।
7. माईक्रोबायोलोजी विभाग द्वारा दूसरे जिलो को केवल वहीं के रोगियों की रिपोर्ट ही भेजी जावेगी ना कि अन्य जिलो की भी ताकि जिले अनुसार सूचना में कोई असमन्जस्य न रहे और दोहरीकरण न हो।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवं आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जनता कॉलोनी, जयपुर।
4. निदेशक(ज.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. अति0 निदेशक (प्रशा0), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जनता कॉलोनी, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा।
7. जिला कलेक्टर, कोटा/बूंदी/बांरा/झालावाड।
8. अतिरिक्त प्रधानाचार्य–1, मेडिकल कॉलेज कोटा को पालनार्थ ।
9. चिकित्सालय अधीक्षक, एमबीएस/ जे.के.लोन/ नवीन चिकित्सालय/रामपुरा चिकित्सालय ,कोटा को पालनार्थ ।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं कोटा जोन, कोटा।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/बूंदी/बांरा/झालावाड।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी/सदस्य रेपिड रेस्पांस टीम/सदस्य कन्ट्रोल रूम कोरोना वायरस मॉनिटरिंग..को पालनार्थ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, मेडिकल कॉलेज कोटा।
14. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, मेडिकल कॉलेज कोटा।
15. सामान्य शाखा/लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक